Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

<u>अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार</u>

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-127/04 / सी.आई.एस. क्र.-127/04

ईश्वर चंद यादव बनाम सहजी देवी द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
13/02/25	वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2a , 2b ,5 ,6,7 एवं अन्य प्रतिवादी की और से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है	यह वाद प्रतिवादी संख्या 5,6,7 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20/12/24 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है	उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि डीड सं. 7638 दिनांक 18/04/63 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया है जो लोक दस्तावेज है अत : निवेदन है की उसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय | वादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है की उक्त दस्तावेज 30 बर्ष पुराना है एवं प्रतिवादी के द्वारा उक्त दस्तावेज को धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित नहीं किया गया है जिस कारनण से उक्त आवेदन ख़ारिज किये जाने योग्य है	शेष प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं किया गया है न ही सुनवाई में उपस्थित हुए | उभयपक्ष को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया	अवलोकन से प्रतीत होता है की प्रतिवादी संख्या 5 ,6,7 की ओर से दिनांक 21/09/21 को दानपत्र सं.-7638 दिनांक 18/04/63 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रदर्श अंकित किये जाने हेतु यह आवेदन दिया गया है जिस पर वादी की आपत्ति है की उसे धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित नहीं किया गया है| भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार - **68. Proof of execution of document required by law to be attested.** If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the Court and capable of giving evidence : [Provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document, not being a Will, which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act, 1908 (XVI of 1908), unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है की जहाँ किसी दस्तावेज को विधि के द्वारा अनुप्रमाणित किया आवश्यक है वहां उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने हेतु उक्त दस्तावेज के निष्पादन को एक अनुप्रमाणन साक्षी के द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है परन्तु अगर वह पंजीकृत है एवं विल नहीं है तो दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए अनुप्रमाणन साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक नहीं है जब तक की निष्पादन का प्रत्याख्यान न किया गया हो	वादी के द्वारा दानपत्र के निष्पादन को साबित किये जाने के आधार पर आपत्ति किया गया है जिस कारण से उपरोक्त आवेदन को इस निर्देश के साथ निष्पादित किया जाता है की वादी दानपत्र को औचारिक साक्ष्य से साबित करे | वाद दिनांक 04/03/25 को अग्र कार्यवाही हेतु नियत | लेखापित- असैनिक न्यायाधीश(व.को.) बनमनखी, पूर्णिया	